मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

वर्ष 1982 के पूर्व पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत थे। वर्ष 1982 में लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तीन अलग–अलग विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन में विभाजित किया गया। इस प्रकार वर्ष 1982 से पथ निर्माण विभाग अस्तित्व में है।

राज्य के उच्च पथों/पुलों तथा वृहद् जिला पथों/पुलों के निर्माण, मरम्मति एवं रख–रखाव का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण, मरम्मति एवं संधारण केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति तथा निधि के अनुसार पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है।

अन्य जिला पथों/ग्रामीण पथों का निर्माण, मरम्मति एवं संधारण ग्रामीण कार्य विभाग/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन /जिला परिषद् द्वारा किया जाता है।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पुलों/पथों के निर्माण कार्य तथा उनके रख–रखाव के लिए कई उपभागों का सृजन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि मूल एवं संरक्षण कार्यों का कार्यान्वयन सुचारू रूप से समुचित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत् हो सके।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्प्रति निम्न उपभाग है जिसके प्रभारी मुख्य अभियंता होते हैंः–

1. **उत्तर बिहार उपभाग, पटना**–अपने क्षेत्राधीन राज्य उच्च पथों एवं वृहद जिला पथों के निर्माण मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए उतरदायी है।

2. **दक्षिण बिहार उपभाग, पटना**– अपने क्षेत्राधीन राज्य उच्च पथों एवं वृहद जिला पथों के निर्माण मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए उतरदायी है।

3. **सीमांचल उपभाग, बिहार**– अपने क्षेत्राधीन राज्य उच्च पथों एवं वृहद जिला पथों के निर्माण मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए उतरदायी है।

4. **राष्ट्रीय उच्च पथ उत्तर उपभाग, पटनाः**– यह उपभाग उत्तर बिहार राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है।

5. **राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पटनाः**– यह उपभाग दक्षिण बिहार राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है।

6. **केन्द्रीय निरूपण संगठन उपभाग, पटना।**

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत विशिष्ट एवं समुन्नत तकनीकी प्रावधान के अनुसार पथों एवं पुलों के निरूपण के लिए केन्द्रीय निरूपण संगठन उपभाग का सृजन किया गया है। इस उपभाग का मुख्य कार्य सभी मूल परियोजनाओं का संशोधन, अन्वेषण, विशिष्ट–निर्धारण एवं निरूपण है।

7. **अग्रिम योजना उपभाग, पटना**–नये पथों एवं पुल परियोजनाओं का प्रोजेक्ट अग्रिम रूप से बनाने के उद्देश्य से इस उपभाग का सृजन किया गया है ताकि किसी भी परियोजना की स्वीकृति के बाद उसके निरूपण आदि में अधिक विलम्ब न हो और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अग्रिम सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार कर रखा जाय ताकि आवश्यकतानुसार निधि उपलब्ध होते ही परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं प्रावैधिक स्वीकृति यथाशीघ्र दी जा सके।

8. **गंगा पुल परियोजना उपभाग, पटना**–इस उपभाग का सृजन पटना के निकट गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए किया गया था जिसका कार्य सम्पन्न हो चुका है। इस उपभाग के द्वारा पटना–सहरसा मार्ग पर डुमरीघाट में कोशी नदी पर पुल तथा वर्ष 2001 में भागलपुर स्थित गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल (विक्रमशीला सेतु) का निर्माण कराया गया है।

9. **यांत्रिक उपभाग, पटना**–पथ/पुलों के निर्माण कार्य में मशीनों की बढ़ती उपयोगिता की पृष्ठभूमि में पथ निर्माण विभाग में उपलब्ध मशीनों के संरक्षण एवं रख–रखाव के उद्देश्य से एक पृथक यांत्रिक उपभाग का सृजन वर्ष 1983–84 में किया गया था। पथ निर्माण विभाग के भारी मशीनों एवं अन्य उपकरणों के रख–रखाव एवं कार्य में इस उपभाग का योगदान है। वर्त्तमान में हॉट मिक्स के परिचालन एवं रख–रखाव इस उपभाग का प्रमुख कार्य है।

10. **अनुश्रवण उपभाग**

पथ निर्माण विभाग के सभी उपभाग के कार्यकलापों की समय–समय पर समुचित समीक्षा के लिए मुख्य अभियंता के अधीनस्थ उपभाग का सृजन किया गया है। यह उपभाग क्षेत्रीय कार्यालयों की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं प्रगति की अद्यतन सूचना की समीक्षा के लिए एक कम्प्यूटर सेल के साथ कार्यरत है जिसके माध्यम से प्रमंडलों को दिये गये आवंटन, खर्च पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है।

पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), जवाहर लाल नेहरू पथ, पटना–800015 स्थित विश्वेश्वरैया भवन में है।

मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग का संगठनात्मक विवरण निम्न प्रकार है–

1. विभागीय मंत्री
2. अपर मुख्य सचिव
3. सचिव
4. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह विशेष सचिव
5 अपर सचिव
6. संयुक्त सचिव
7. अभियंता–प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)
8. निदेशक (क्रय एवं परिवहन)
9. उपनिदेशक (क्रय एवं परिवहन)
10. उप सचिव
11. अवर सचिव
12. प्रशाखा पदाधिकारी
13. सहायक
14. निजी सहायक
15. दिनचर्या लिपिक
16. प्रधान टंकक / टंकक
17. आदेशपाल।

11. पथ निर्माण विभाग द्वारा संधारित पूरे बिहार अर्थात् उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग और सीमाचंल (यातायात) उपभाग के पथों की मरम्मति, मजबूतीकरण आदि कार्य एवं पुलों के निर्माण एवं मरम्मति से सम्बन्धित प्राक्कलनों के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई कार्य / पथों का अधिग्रहण / पथों के लिए भू अर्जन का मुआवजा, पथ निर्माण विभाग के पथों के साइड में पेट्रोल पम्प की स्थापना / योजना में नावार्ड, केन्द्रीय सड़क निधि योजना समविकास योजना अंतरराज्यीय सड़क सम्पर्क / योजना एवं गैर योजना के पथों की मरम्मति / रेलवे ऊपरी पुल एवं फ्लाई ओभर में राज्य सरकार की भागीदारी।

इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अन्य कोषांग गठित हैः–

1. **सी0 ए0 जी0 कोषांग**ः– पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 90–97 के बीच बिटुमेन प्रकरण पर दुर्विनियोग / लेखा असमायोजन / गबन आदि के बिन्दु पर सी0 ए0 जी0 द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रतिवेदित करने के बिन्दु पर विभाग स्तर से जाँच करने के लिए निमित सी0 ए0 जी0 कोषांग का गठन राज्यादेश सं0 3313 दिनांक 26.05.2001 द्वारा किया गया है।

सी0 ए0 जी0 कोषांग के अधीन एक अपर सचिव (भा0 प्र0 से0), दो अपर समाहर्त्ता स्तर के विशेष पदाधिकारी सह उपसचिव, एक प्रशाखा पदाधिकारी एवं दो सहायक कार्यरत है।

इन पदाधिकारियों का कार्य सी0 ए0 जी0 प्रभावित प्रमंडल में पदस्थापित रहे पदाधिकारियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक अभियंता का मंतव्य प्राप्त किया जाता है। उक्त मंतव्य की समीक्षा अपर सचिव स्तर पर गठित समिति में की जाती है, जिसकी अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई की जाती है। इन्हें प्रशासकीय अधिकार प्राप्त है।

2. **सूचना कोषांग** :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सूचना कोषांग गठित है।

श्री रणेन्द्र कुमार , कार्यपालक अभियंता, बजट–1, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभाग स्तर से लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावे सूचना कोषांग में एक प्रशाखा पदाधिकारी एवं एक सहायक तथा एक आदेशपाल को अपने कार्य का अतिरिक्त कार्य करने का आदेश दिया गया है।

श्री मुकेश कुमार, संयुक्त सचिव (प्र0को0) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकार नामित किया गया है।

कार्यालय के खुलने का समय – 9:30 AM

कार्यालय बंद होने का समय – 6:00 PM

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का०आ०सं०–1/विविध–20/2021

पटना, दिनांक 07/9/22

कार्यालय आदेश -120

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2759 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन/पुनर्निधारण के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत–33 के विरूद्ध पुनरीक्षित स्वीकृत पद–36 के फलस्वरूप प्रशाखाओं को निम्नलिखित रूप से समायोजित करते हुए उसके सामने अंकित कार्यों को आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
1.	प्रशाखा–1	(1) प्रशाखा पदाधिकारी से प्रधान सचिव स्तर तक के पदाधिकारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (2) कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं उसके उपर अभियंता प्रमुख तक के पदों पर प्रोन्नति/स्थानान्तरण /सेवोत्तर लाभ, वरीयता सूची का प्रकाशन एवं स्थापना संबंधी कार्य। (3) बिहार तकनीकी सेवा के पदाधिकारियों को उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति एवं इससे संबंधित स्थापना कार्य। (4) प्रमंडल का नामकरण एवं पुनर्गठन तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण कार्य। (5) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित कार्य। (6) बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन। (7) बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायधिकरण के स्थापना संबंधी कार्य। (8) आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव का स्थापना संबंधी कार्य। (9) पदों का अवधि विस्तार एवं पदों का सृजन संबंधी कार्य।
2.	प्रशाखा–2	(1) सहायक अभियंता (असै०) एवं (यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति एवं विभागीय संवर्ग आवंटन कार्य/सम्पुष्टि एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य। (2) बिहार तकनीकी सेवा के पदाधिकारियों को सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति एवं इससे संबंधित स्थापना कार्य। (3) कनीय अभियंता (असै०) एवं (यांत्रिक) से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति संबंधी कार्य। (4) सहायक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक) के पद पर सीधे नियुक्त पदाधिकारियों को ACP/MACP योजना के अन्तर्गत लाभ संबंधी कार्य। (5) सहायक अभियंता (असै०) एवं (यांत्रिक) का सेवोत्तर लाभों की स्वीकृति संबंधी कार्य। (6) बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट एवं सहायक अभियंता का वरीयता सूची का प्रकाशन। (7) सहायक अभियंता का नियुक्ति नियमावली का गठन।
3.	प्रशाखा–3	(1) कनीय अभियंता (असै०) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) की नियुक्ति/सम्पुष्टि/पदस्थापन एवं स्थानान्तरण/वरीयता एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य। (2) कनीय अभियंता (असै०) एवं (यांत्रिक) में नियुक्त सभी स्तर के पदाधिकारी को ACP/MACP योजना के अन्तर्गत लाभ संबंधी कार्य। (3) बिहार अवर अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
4.	प्रशाखा–4	(1) मुख्यालय के वर्ग–3 एवं 4 का स्थापना/सेवोत्तर लाभ संबंधी कार्य। (2) मुख्यालय स्तरीय सभी संवर्ग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। (3) मुख्यालय के लिए लिपकीय सेवा/आंशुलिपिक सेवा नियमावली। (4) लेखन सामग्री, बिजली सामग्री एवं अन्य सामग्री, टेबुल कुर्सी का क्रय आपूर्त्ति एवं मरम्मति का कार्य मुख्यालय स्थित कार्यालयों तथा उपकरणों का अन्य रख रखाव संबंधी कार्य। (5) मुख्यालय के दूरभाष, मोबाईल संयोजन, आवंटन संबंधी कार्य। (6) मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को कमरा एवं वाहन आवंटन एवं प्रवेश पत्र बनाने संबंधी कार्य। (7) सभी तरह के विपत्रों का भुगतान संबंधित कार्य। (8) मुख्य सचिव/वित्त विभाग में आयोजित सेवान्त लाभ की समीक्षा बैठक से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।
5.	प्रशाखा–5	(1) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग–3 एवं 4 के कर्मचारियों का स्थापना, सेवोत्तर लाभों की स्वीकृति संबंधी कार्य। (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग–3 के प्रधान सहायक का स्थापना संबंधी कार्य। (3) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, र्कायभारित कर्मचारियों से संबंधित कार्य एवं इनके नियमित स्थापना में नियुक्ति संबंधी कार्य। (4) क्षेत्रीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। (5) क्षेत्रीय स्थापना के अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित नियमावली।
6.	प्रशाखा–6	(1) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चारित्री का संधारण। (2) विधान मंडलीय/संसदीय मामलों से संबंधी कार्य। (3) मानवाधिकार से संबंधित मामला (विधायी कार्य)
7.	प्रशाखा–7	(1) बिहार लोक निर्माण संहिता एवं निर्माण कार्यों से संबंधित अन्य संहिता/नियम/निदेश एवं निर्माण कार्यों से संबंधित मामले। (2) विभागीय कार्य प्रमंडलों के निविदा निष्पादन एवं अन्य संबंधित कार्य। (3) अस्थायी अग्रिम का समायोजन/निर्माण/मरम्मति कार्य से संबंधित न्यायालीय वाद। (4) संवेदकों का निबंधन एवं नवीकरण कार्य। (5) ट्रिब्यूनल एवं पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित कार्य। (6) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार संबंधित मामले।
8.	प्रशाखा–8	(1) वित्त (अंकेक्षण) विभाग से संबंधित मामले। (2) महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन। (3) प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण। (4) सिविल कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण। (5) लोक लेखा समिति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन। (6) आन्तरिक संसाधन से संबंधित प्रतिवेदन। (7) सी0ए0जी0 से संबंधित कंडिकाओं का उत्तर प्रेषण।
9.	प्रशाखा–9	(1) विभाग के अन्तर्गत गैर–योजना एवं योजना मद के कार्यों/योजनाओं का बजट/ आवंटन/प्रत्यर्पण एवं विनियोग लेखा संबंधी कार्य। (2) महालेखाकार/वित्त विभाग/वित्त आयोग से संबंधित कार्य। (3) प्रमंडलों के मासिक लेखा एवं इस संबंध में महालेखाकार की टिप्पणी संबंधी कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
10.	प्रशाखा–10	(1) योजना मद से कार्यान्वित कार्यों का कार्यक्रम सूत्रण एवं इनका स्वीकृति। (2) भू–अर्जन संबंधी कार्य। (3) नक्सल प्रभावित क्षेत्र (LWE) की योजना संबंधी कार्य। (4) सीमा क्षेत्र विकास/ अन्तर्राजीय सड़क सम्पर्क (5) बुद्विस्ट सर्किट संबंधी कार्य। (6) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कार्य। (7) विश्व बैंक योजनान्तर्गत संबंधी कार्य।
11.	प्रशाखा–11	(1) बन्दोबस्ती संबंधी कार्य। (2) पथ की भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग संबंधित कार्य। (3) पथों का अधिग्रहण संबंधी कार्य। (4) पथों के निर्माण/रख रखाब संबंधी नीतिगत मामले। (5) मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (6) आर०ओ०बी०/राज्य उच्च पथ/राष्ट्रीय उच्च पथ की योजनाओं से संबंधित कार्य। (7) केन्द्र प्रयोजित अन्य कार्य। (8) नाबार्ड संबंधी कार्य। (9) जन भागीदारी प्रणाली से संबंधित कार्य।
12.	प्रशाखा–12	(1) विभागीय क्रय (बिटुमिन, यंत्र–संयंत्र एवं वाहन)। (2) सी०ए०जी०कोषांग। (3) क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर मोबाईल, जेनरेटर आदि संबंधित कार्य।
13.	प्रशाखा–13	(1) मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों के निगरानी संबंधी कार्य। (2) पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों, यथा सहायक अभियंता (असैनिक/ यांत्रिक) एवं उनसे उपर के पदाधिकारियों का निगरानी संबंधी कार्य।
14.	प्रशाखा–14	(1) मुख्यालय स्थित अराजपत्रित कर्मचारियों के निगरानी संबंधी कार्य। (2) कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के निगरानी संबंधी कार्य।
15.	प्रशाखा–15	**अग्रिम योजना उपभाग** (1) अग्रिम योजना उपभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों/पदाधिकारियों एवं अग्रिम योजना उपभाग में पदस्थापित कर्मचारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (2) अग्रिम योजना उपभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के स्थापना संबंधी कार्य।
16	प्रशाखा–16	मुख्यालय स्तर पर कार्यों के अनुश्रवण संबंधित कार्य।
17.	प्रशाखा–17	दक्षिण बिहार उपभाग के अंतर्गत पूर्व बिहार अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर एवं भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा से संबंधित तुलनात्मक विवरणी, प्राक्कलन दायित्व, पथों एवं पुलों का जाँच प्रतिवेदन संबंधित सभी कार्य। अलकतरा एवं अन्य सामग्रियों के भंडार रक्षा से संबंधित कार्य, पेट्रोलपम्प, जन सम्पर्क से संबंधित सभी कार्य, ऑप्टिकल फाईवर से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य।
18.	प्रशाखा–18	दक्षिण बिहार उपभाग के अंतर्गत केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना एवं मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया से संबंधित तुलनात्मक विवरणी, प्राक्कलन दायित्व, पथों एवं पुलों का जाँच प्रतिवेदन संबंधित सभी कार्य। पेट्रोलपम्प का एन०ओ०सी० से संबंधित अन्यायिक मामला सभी कार्य, ऑप्टिकल फाईवर से संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
19.	प्रशाखा–19	दक्षिण बिहार उपभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता, तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थापना से संबंधित सभी कार्य। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित न्यायिक मामला।
20.	प्रशाखा–20	**यांत्रिक उपभाग** (1) मुख्य अभियंता (यांत्रिक) अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं उपभाग में प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव के स्थापना संबधी कार्य। मुख्यालय के वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के स्थापना संबंधित कार्य, हॉट मिक्स प्लांट, लेखन सामग्री, टेलीफोन एवं निधि का आवंटन संबंधित कार्य।
21.	प्रशाखा–21	(1) कनीय अभियंता (यांत्रिक), सहायक अभियंता (यांत्रिक), क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग–3 एवं अनुसेवक का स्थापना संबंधित कार्य, क्षेत्रीय कार्यालयों के तकनीकी कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मियों का स्थापना संबंधित कार्य, कर्मचारी संगठन से संबंधित कार्य।
22.	प्रशाखा–22	**उत्तर बिहार उपभाग** (1) कनीय अभियंताओं, क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कर्मचारियों का स्थापना संबंधित कार्य, उपभाग के कार्यालय से संबंधित कार्य।
23	प्रशाखा–23	(1) निविदा, दायित्व, समयवृद्धि, आवंटन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, लेखा, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य।
24.	प्रशाखा–24	राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग में आवंटित सभी कार्य।
25.	प्रशाखा–25	राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग में आवंटित सभी कार्य।
26.	प्रशाखा–26	**सेतु प्रबंधन उपभाग** (1) सेतु प्रबंधन उपभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों का वेतन निकासी एवं स्थापना संबंधित कार्य। (2) सेतु प्रबंधन उपभाग के अंतर्गत अंचल एवं प्रमंडलों में कार्यरत कर्मचारियों का स्थापना संबंधी कार्य। (3) महात्मा गाँधी सेतु के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधित कार्य। (4) राज्य में निर्मित पुलों एवं फ्लाई ओवर के निर्माण के पूर्व निरूपण तथा संबंधित नक्शा तथा निर्माण के पश्चात् यथा निर्मित नक्शा, कुशल कागजीकरण एवं प्रबंधन, पुल निर्माण के स्त्रोत में हो रहे आधुनिक शोध निकास पुलों का प्रबंधन, राष्ट्रीय उच्च पथ पर निर्मित सेतुओं से संबंधित पुलों का प्रबंधन इत्यादि। (5) PIU (Project Implimentation Unit), Bridge Management Information System पुल मरम्मति से संबंधित सभी कार्य। (6) राष्ट्रीय उच्च पथों पर निर्मित सेतुओं के डाटाबेस समाहित करना। Bridge Management Information System व्यवस्थापित कर पुलों से संबंधित डाटा की Reporting तैयार करना तथा Technological एवं Expert System से लैस करने का दायित्व।
27	प्रशाखा–27	**केन्द्रीय निरूपण संगठन** (1) प्राक्कलन से संबंधित सभी कार्य।
28.	प्रशाखा–28	**केन्द्रीय निरूपण संगठन** (1) केन्द्रीय निरूपण संगठन के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

क्रमांक	प्रशाखा का नाम	प्रस्तावित आवंटित कार्य
29.	प्रशाखा–29 विधि प्रशाखा	(i) विभागीय न्यायिक मामला संबंधी सभी कार्य, रिट याचिका की प्रति/न्याय निर्णय न्यायालय से प्राप्त कर संबंधित प्रशाखाओं को उपलब्ध कराना, कोर्ट केस से संबंधित पंजी का संधारण एवं अनुश्रवण संबंधित कार्य। (ii) "बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011" की कंडिका 4.A (4) के आलोक में विभागीय स्तर "शिकायत निवारण समिति" (Department Level Grievance Redressal Committee) से संबंधित कार्य। (iii) "बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011" की कंडिका 2.4 (b) के आलोक में विभागीय स्तर "प्राधिकृत समिति" (Department Level Empowered Committee) से संबंधित कार्य। (iv) लोकायुक्त एवं मानवाधिकार आयोग संबंधित मामले का अनुश्रवण।
30.	प्रशाखा–30	(1) मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का लेखा एवं वेतनादि का भुगतान संबंधित कार्य। (2) विभागीय स्तर पर क्रय किये जाने वाले कार्य का भुगतान संबंधी कार्य। (3)विभागीय पदाधिकारियों को मुकदमा विपत्र एवं यात्रा भत्ता विपत्र। (4) मुख्यालय स्तरीय निकासी एवं व्ययन संबंधी सभी अन्य कार्य। (5) पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सम्पत्ति ब्यौरा संकल्न एवं संधारण संबंधित कार्य।
31	प्रशाखा–31	(1) उड़नदस्ता प्रमंडल से संबंधित कार्य। (2) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) से संबंधित कार्य।
32	प्रशाखा–32	(1) सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य।
33.	प्रशाखा–33	(1) भूमि अधिग्रहण संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण आदि के साथ–साथ सतत् लीज संबंधित कार्य।
34.	प्रशाखा–34	रा0उ0प0, दक्षिण उपभाग से संबंधित कार्य।
35.	प्रशाखा–35	सीमांचल उपभाग से संबंधित कार्य।
36.	प्रशाखा–36	सीमांचल उपभाग से संबंधित कार्य।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमादेन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1/विविध–20/2021 पटना, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1/विविध–20/2021 पटना, दिनांक....................................

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/संविदा प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी (सभी प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/लेखा प्रशाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1/विविध–20/2021 4605(s) पटना, दिनांक 07/9/22

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
1/9/22

D:\BINOD KAMLESH JEE\SECTION DIV WORK OFFICE ORDER 27-07-2022.DOCX